आदेश

6/4/26 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० आये
प्रार्थी का प्रा० पत्र मय खारिज किया
जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर पत्रावली शामिल किया गया।
पत्रावली के साथ मुताबिक नियम व
बाद में पत्रावली दाखिल दफ्तर व
शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
52 / 2023	28.08.2023	06.04.2026

बउनवान

1. प्रकाश पुत्र केहर सिंह जाति अहीर निवासी श्री कृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.10 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1614 रकबा 0.01, 1615 रकबा 1.09 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर में स्थित है। जिसे वाद में विवादित माना गया है।
2. यह है कि सजरा परिवार निम्न प्रकार है

केहर सिंह (फोत)

....

रामसिंह प्रकाश शीशराम शिवलाल

अर्थात उक्त आराजी में केहर सिंह मृतक के जायज वारिशान का बराबर हिस्सा है। जिस पर काबिज है खातेदार काश्तकार है।

3. यह है कि जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में मृतक केहरसिंह के वारिसान के नाम सही अंकन हो रहा है तथा उसके बाद बनी जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में मृतक केहरसिंह के वारियो में राजसिंह पुत्र केहरसिंह हिस्सा 1/16 का अंकन कर दिया जो गलत है खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है मृतक केहरसिंह के राजसिंह नाम का कोई पुत्र नही है ना ही इस नाम का परिवार में कोई व्यक्ति है राजस्व कर्मचारियों ने बिना जॉच किये ही राजसिंह पुत्र केहरसिंह हिस्सा 1/16 का अंकन दिया तथा रामसिंह पुत्र केहरसिंह हिस्सा 1/16 का अंकन हो गया जो भी गलत है इसलिए जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज नाम राजसिंह पुत्र केहरसिंह हिस्सा 1/16 का अंकन हजफ कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा रामसिंह पुत्र केहरसिंह हिस्सा 1/16 के स्थान पर 1/8 का अंकन कराया जाना आवश्यक है जिस हेतु दुरुस्ती वाद पेश किया जाना आवश्यक आया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि उक्त गलत अंकन की जानकारी मिन वादी को पूर्व में नही रही अब केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकोर्ड की आवश्यकता हुई तो हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर उक्त अंकन का ज्ञान हुआ जिस पर नकल हासिल कर प्रतिवादी संख्या 01 से दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो दिनांक 27.04.2023 को स्पष्ट इन्कार कर दिया व कहा ही अदालत में आदेश लेकर आना पड़ेगा उसके बाद राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती की जावेगी।

5. यह है कि जमाबन्दी में गलत अंकन के रहते हुये मिन वादी को अजहद क्षति को रही है तथा कृषि योजना से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए उक्त दुरूस्ती कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अप्रार्थी को विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :- ग्राम चिरूणी के हाल राजस्व रिकोर्ड के खसरा नम्बर 1614/0.01, 1615/1.09 में कृष्णा पुत्र श्योनाथ जाट हिस्सा 1/4, प्रकाश, शिवलाल पुत्रान केहरसिंह अहीर हिस्सा 1/4 हिस्सा, मंजू देवी, मनोज देवी पुत्रीयान रामसिंह हिस्सा 1/8 श्रीराम, शीशराम पुत्रान रामजीलाल हिस्सा 1/4, संगीता देवी पत्नी गजराज सिंह हिस्सा 17/176, संदीप पुत्र शीशराम हिस्सा 5/176 अहीर सा0 कृष्णनगर खातेदार दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में रामसिंह पुत्र केहरसिंह व राजसिंह पुत्र केहरसिंह के नाम से कोई भूमि दर्ज नही है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन जमाबन्दी सम्वत 2067-70, जमाबन्दी सम्वत 2071-74 की प्रति पेश की।

प्रार्थी की ओर से बहस

रिकॉर्ड की स्पष्ट त्रुटि :-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2067-70 में मृतक केहर सिंह के वैध वारिसों का अंकन सही है। इसके विपरीत जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में बिना किसी वैधानिक आधार व जाँच के राजसिंह पुत्र केहर सिंह का 1/16 हिस्सा अंकित कर दिया गया, जबकि मृतक केहर सिंह का ऐसा कोई पुत्र न तो अस्तित्व में है और न ही परिवार में कभी रहा है। अतः यह अंकन स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि है।

वारिसाना हिस्सों का गलत निर्धारण :-

परिवारिक सजरा निर्विवाद है, जिसके अनुसार मृतक केहर सिंह के वैध वारिसों में प्रकाश, रामसिंह, शीशराम व शिवलाल सम्मिलित हैं। ऐसे में रामसिंह पुत्र केहर सिंह का हिस्सा 1/16 दर्शाना भी गलत हैय उसका सही हिस्सा 1/8 बनता है। गलत हिस्सेदारी से वास्तविक खातेदारों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही :-

राजस्व अभिलेखों में उक्त गलत अंकन बिना जाँच-पड़ताल के किया गया, जो भू-राजस्व कानून की भावना के विपरीत है। ऐसी त्रुटियाँ धारा 136 के अंतर्गत दुरुस्ती योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञान में विलंब व उचित कारण

प्रार्थी को उक्त गलत अंकन की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जब कृषि क्रेडिट कार्ड हेतु रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ी, तब नकल प्राप्त करने पर त्रुटि का पता चला। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी से निवेदन किया गया, जिसे दिनांक 27.04.2023 को अस्वीकार कर दिया गया और न्यायालयीन आदेश की आवश्यकता बताई गई। अतः विलंब समुचित कारणों से है।

निरंतर क्षति (Continuing Injury)

गलत अंकन के कारण प्रार्थी को कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा आर्थिक व विधिक क्षति हो रही है। यह क्षति निरंतर प्रकृति की है, जिसे तत्काल दुरुस्त करना न्यायहित में आवश्यक है।

अप्रार्थी के उत्तर से समर्थन

अप्रार्थी के उत्तर में भी यह स्वीकार है कि वर्तमान रिकॉर्ड में रामसिंह पुत्र केहर सिंह व राजसिंह पुत्र केहर सिंह के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। इससे प्रार्थी का यह कथन पुष्ट होता है कि पूर्व का गलत अंकन वास्तविकता के अनुरूप नहीं था और दुरुस्ती आवश्यक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानून के आलोक में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज राजसिंह पुत्र केहर सिंह (हिस्सा 1/16) का अंकन हजफ किया जाएय तथा रामसिंह पुत्र केहर सिंह का हिस्सा 1/16 के स्थान पर 1/8 कर दुरुस्त किया जाएये। ताकि वास्तविक वारिसों के अधिकार सुरक्षित हों और प्रार्थी को हो रही क्षति समाप्त हो।

संक्षिप्त विवेचन

प्रार्थी द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रार्थी के कथनों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया।

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि राजसिंह पुत्र केहर सिंह अथवा रामसिंह पुत्र केहर सिंह के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी यह तथ्य पुष्ट होता है कि वर्तमान जमाबन्दी में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है। अतः जिस गलत अंकन के दुरुस्ती/हजफ हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अंकन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं पाया गया।

साथ ही, धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल स्पष्ट लिपिकीय या लेखनात्मक त्रुटियों की दुरुस्ती की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा उठाया गया विवाद वस्तुतः हिस्सेदारी/उत्तराधिकार के निर्धारण से संबंधित है, जो तथ्यात्मक व विवादित प्रश्न है तथा जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है, न कि संक्षिप्त दुरुस्ती की कार्यवाही में।

उपखण्ड अधिकारी
भूकबर (किशनगढ़ बास–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः यह पाया गया कि– जिस गलत अंकन का उल्लेख प्रार्थी द्वारा किया गया है, वह वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में विद्यमान नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 136 के दायरे से परे है तथा इसमें किसी स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि का प्रमाण नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज.

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर खैरथल-तिजारा